न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस

नम्बर मुकदमा	**किस्म मुकदमा**	**ता0 दायरा**	**निर्णय तिथि**
42/2012	दावा 92 ए RTA	29.02.2012	01.04.2021

1. उज्जवल सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
2. मो. रफीक पुत्र कमरूदीन जाति कायमखानी
3. लूणाराम पुत्र लादूराम जाति प्रजापत

} निवासीगण वार्ड नं. 13 तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
2. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर
3. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, चूरू
4. तहसीलदार, चूरू
5. मो. इकबाल पुत्र मुमताज खां जाति कायमखानी निवासी मदीना मस्जिद के पास, चूरू
6. सर्व साधारण
7. वजीर खां पुत्र रहीम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
8. युनस खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
9. मुमताज खां पुत्र लादू खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 09 चूरू
10. गफार पुत्र हबीब जाति नाई निवासी वार्ड नं. 09 चूरू
11. साबीर खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
12. आसीफ पुत्र अख्तर हुसैन जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
13. नब्बू खां पुत्र गनी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 10 चूरू
14. दीन मोहम्मद पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 07 चूरू
15. युनस खां पुत्र मनीर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03, चूरू
16. नानु खां पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 चूरू
17. सदीक खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
18. मो. आरीफ पुत्र हाकम अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
19. बादशाह उर्फ रहीम खां जाति कायमखानी निवासी चूरू
20. अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., चूरू
21. अधिशाषी अभियन्ता, बिजली विभाग चूरू
22. भंवरलाल माली निवासी चूरू
23. सुखी देवी माली निवासी भुतिया बास चूरू
24. भंवरलाल जाट निवासी आबाद ख.नं. 183 चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत [illegible] ए आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री [illegible] सिंह वादीगण
2. अधिवक्ता श्री [illegible] प्रतिवादी सं. 1, 2
3. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 3, 4
4. अधिवक्ता श्री अब्दुलगफार प्रतिवादी सं. 5, 7 से 19
5. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र खत्री प्रतिवादी सं. 21

उपखण्ड अधिकारी चूरू

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रतिनिधित्व वाद आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत दावा अन्तर्गत धारा 92 ए आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि कस्बा चूरू में शहर से पश्चिम में स्टेडियम के पीछे, मंदिर श्री ठाकुरजी की भूमि ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा बन्जर भूमि के रूप में पड़ी है जिसकी खातेदारी नाबालिक मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी व अक्स की नकल साथ संलग्न है। ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा भूमि नाबालिक देवता की खातेदारी की है जिसकी सुरक्षा करने का दायित्व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का है प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कई बार लिखा गया मगर उन्होंने इस भूमि की सुरक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं समझी गई। ख.नं. 183 की 56 बीघा 8 बिश्वा भूमि इस चूरू शहर से पश्चिम में स्टेडियम के पास पड़ी है उस पर वादीगण व चूरू शहर के नागरिकगण अपने धन पशु चराते हैं तथा इस भूमि की रक्षा करते हैं। भूतपूर्व जागीरदार ने उक्त भूमि देवता के नाम से छोड़ी गई जिसमें तत्कालीन समय के लोग अपना धन पशु चराते थे और उसी क्रम में आज भी वादीगण अपने धन पशु चराते हैं तथा उसमें खड़े पेड़ आदि की सुरक्षा करते हैं। ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा भूमि नाबालिक देवता के नाम होने से किसी को भी रहन बैय नहीं की जा सकती तथा न ही कृषि कार्य व पशु आदि चराने के कार्य से आवासीय रूप में परिवर्तन नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी सं. 5 अपने अन्य साथियों से मिलकर तथा मंदिर के पुजारी से मिलीभगत करके अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर उसके पेड़ आदि काटकर ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा भूमि को इकरार नामों के जरिये बेची जा रही है तथा अन्य लोगों का उक्त भूमि पर कब्जा करवा कर आवासीय भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है तो उक्त मंदिर की संपति के प्लॉट काटकर भूमाफियों द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है। भूमाफियों को उक्त भूमि को प्लॉटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ख.नं. 183 रोही मोजा चूरू की भूमि के कस्टोडियन गार्जियन है निगेहबान है क्योंकि देवस्थान मंदिर की भूमि नाबालिक की ही रहती है। उसकी सुरक्षा करने का जुम्मा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का ही रहता है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 4 आवश्यक पक्षकार होने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया है। वादीगण जब हमेशा की मुताबिक अपना धनपशु ख.नं. 183 व आस पास की भूमि में गये तो दिनांक 20.02.2012 को हमने देखा कि प्रतिवादी सं. 5 मौके पर ख.नं. 183 में खड़े पेड़ों की अवैध कटाई कर रहा है तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा रोही मोजा चूरू की भूमि को ट्रेक्टर चलाकर समतल कराकर प्लॉटिंग कर अन्य लोगों को इकरारनामा के जरिये बेच रहा है। वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादी सं. 5 हमें कहने लगा मैं तो बेचूंगा ऐसे राज में ऐसे ही होता है। हमने चूरू में सारी मंदिर व मस्जिदों की जमी[illegible] दी किसी ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा अब आप हमें रोकने वाले कौन हैं। ह[illegible] के तार ऊपर से नीचे तक जुड़े हुये हैं आप हमें नहीं रोक सकते और [illegible] रुकवा सकते हैं। दिनांक 20.02. 2012 को प्रतिवादी सं. 5 व उसके भूमाफिया साथियों को प्लॉटिंग करने से मना करने के बाद भी नहीं मानने के कारण वादीगण को यह दा[illegible]लाने का कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ। वादीगण की खातेदार होने के कारण, मंदिर से आस्था होने के कारण, मंदिर तथा मंदिर का मालिक नाबालिक होने के कारण व वादीगण द्वारा उसमें धन पशु चराने के कारण उस जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का उपयोग उपभोग करने के कारण यह दावा लाने का अधिकार हासिल है। ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा में काफी लोगों ने आधी भूमि पर अवैध मकानात गैर कानूनी तरीके से बना लिये तथा आधी बची हुई भूमि पर प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण करने पर आमदा हैं। ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा की भूमि कृषि भूमि होने के कारण अदालत वाला को सुनने का अधिकार है व भूमि अदालतवाला के क्षेत्राधिकार में है तथा राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल हैं। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 भूमि के संरक्षण करता है इसलिए उनके कर्त्तव्य की याद दिलाने के लिए व उनसे भूमि का संरक्षण करने के लिए पक्षकार बनाया गया है।

अतः दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे--

क. जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 5 व 6 को मना किया जावे कि मंदिर की कृषि भूमि (संपत्ति) ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा वाके रोही मोजा चूरू में कब्जा कर अवैध निर्माण न करें तथा न ही कृषि भूमि को समतल कर प्लॉट काटकर आवासीय रूप में परिवर्तित नहीं करें।

ख. प्रतिवादी सं. 6 सर्वसाधारण ने ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा रोही मोजा चूरू में अवैध निर्माण कर कर लिया है उसे तुड़वाया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को पाबंद किया जावे कि ख.नं. 183 तादादी 56 बीघा 8 बिश्वा रोही मोजा चूरू का संरक्षण करें।

ग. अन्य कोई दादरसी वादीगण के हक में हो तो वह भी दिलवाई जावे।

घ. खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से श्री राधाकिशन उपस्थिति हुए, प्रतिवादी सं. 3, 4 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 5 की ओर से श्री अब्दुलगफार व मोहम्मदशब्बीर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी के निवेदन करने पर सर्वसाधारण को नोटिस जरिये अखबार प्रकाशित करवाया गया। सर्वसाधारण की ओर से मो. आरिफ ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किया गया। वकील वादी ने मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का से मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी सं. 19 बादशाह उर्फ वजीर खां ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही वादी ने उसके विरूद्ध कोई रिलीफ चाही है। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी ने 'नो ऑब्जेक्शन' किया है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी बादशाह उर्फ वजीर खां के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर वकील वादी को संशोधित टाईटल पेश करने का आदेश दिया गया। वकील वादी ने संशोधित टाईटल पेश किया। शेष प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 5, 8, 11, 13, 14 व 17 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल मिसल किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने लिंक प्रभारी अधिकारी, श्री राधाकिशन, निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बीकानेर की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि देवस्थान विभाग,

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बीकानेर के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उज्जवलसिंह प्रकरण ठाकुर जी का मन्दिर गंजट में न होने से इस विभाग के अधीन नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में पैरोकारी करने का कोई औचित्य नहीं है। वकालतनामा सेवन से पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 7 वजीर खां उर्फ बादशाह ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादी सं. 7 वजीरखां और प्रतिवादी सं. 19 बादशाह एक ही व्यक्ति है और प्रतिवादी सं. 19 को बतौर प्रतिवादी हटाया जा चुका है। यह कि वजीरखां और बादशाह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं जिसे कभी वजीर व कभी बादशाह के नाम से लोग जानते व पहचानते हैं। प्रार्थी का नाम बादशाह के नाम से हटाया जा चुका है और न्यायहित में वजीरखां का नाम भी हटाया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 7 वजीरखां को बतौर प्रतिवादी हटाया जावे। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रतिवादी सं. 7 का नाम हटाये जाने में वकील वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 7 का नाम दावे से हटाया जाता है।

प्रतिवादी सं. 5, 8, 11, 13, 14 व 17 की ओर से की ओर से जवाबदावा पेश कर अंकित किया कि पेरा 1 जिस तरह लिखा सही न होने से स्वीकार नहीं। वादगत भूमि 24.12.1974 के बेनामा द्वारा सुखी देवी पत्नी सूरजमल माली सा. चूरू की रूपया लेकर बेचकर कब्जा व अधिकार दे दिया गया जिस सुखी देवी ने अलग अलग प्लाट काटकर रूपया लेकर बेचकर कब्जा दे दिया जिस पर खरीददारान अपना–अपना आवासीय स्थल निर्मित कराकर, बिजली पानी कनेक्शन लेकर आबाद हो गये, सड़क बन गई और एक कॉलोनी बस गई जिसमें हम प्रतिवादीगण या अन्य लोग आबाद है। इस तरह से यह भूमि बंजड़ ना होकर आवासीय कॉलोनी पिछले साल से बसी हुई चली जा रही है तथा भूमि बाबत ही उक्त सुखीदेवी के पुत्र की ओर से महासम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट की हुई एकल पीठ में सं. 1691/2006 की हुई में 29.03.2006 को स्टे भी हुआ है जो कागजात पेश किये जावेंगे इस तरह से यह भूमि विवादित हाईकोर्ट में होते हुए जो दावा जिस तरह से लाया गया वह चलने योग्य नहीं तथा ना ही वादीगण किस हैसियत से दावा लेकर आये कानूनन वह लाने के अधिकारी न होने से इसी स्टेज पर काबिले खारिज है। पैरा 2 जिस तरह लिखा गलत होने से स्वीकार है। पैरा 3 जिस तरह लिखा गलत लिखा होने से स्वीकार नहीं, यह भूमि हम प्रतिवादीगण द्वारा खरीद करवा हमारे कब्जा, आवास में ऊपर लिखे अनुसार है, उसका रूप आवासीय कॉलोनी का है। पैरा 4 व 5 जिस तरह लिखा सही न होने से स्वीकार नहीं। ऊपर जवाबदावा के पैरा में लिखे अनुसार इस भूमि पर आवासीय स्थल निर्मित होकर आबाद चले आ रहे हैं और इस बाबत हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है जिसके चलते यह दावा चलने योग्य नहीं। पैरा 6 कानूनी है। पैरा 7 जिस तरह लिखा सही न होने से स्वीकार [illegible] जवाबदावा के पैरा 1 में लिखे अनुसार यह भूमि आवासीय कॉलोनी [illegible] .02.2012 को जिस रूप में होना लिखा गलत है। पैरा 8 में जिस तरह कॉलोनी बसना [illegible] सही है कि जो अधिकारपूर्वक रूपया देकर कब्जा लेकर खरीद कर निर्माण कराया है। पैरा 9 में दावा श्रवण करने का अधिकार अदालतवाला को इसलिये भी नहीं कि वादीगण किस आधार पर किस तरह यह दावा लेकर आये वह अधिकारी नहीं होने से दावा श्रवण करने योग्य नहीं है। पैरा 10 कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादगत खेत की बाबत इस खेत की क्रेता सुखी देवी के पुत्र ने मन्दिर ठाकुरजी आदि के विरूद्ध महासम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश कर रखी है जिसमें 29.03.06 को स्टे हुआ है फलस्वरूप उस रिट के चलने उसमें स्टे होने के कारण से यह दावा चलने योग्य न होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाना न्यायोचित होने से खारिज किया जावे। वादीगण द्वारा यह दावा किस धारा के तहत अदालतवाला में पेश किया वह उल्लेखित नहीं है तथा ना ही वादीगण को यह दावा लाने का अधिकार हासिल है ऐसी सूरत में लाया गया दावा कानूनन चलने योग्य न होकर निरस्तनीय होने से निरस्त किया जावे। वादगत खेत 24.12.74 को बेचे जाने पर क्रेता द्वारा अलग प्लॉट काटकर बेच दिये जाने से हम प्रतिवादीगण द्वारा आवासीय निर्माण कराकर, बिजली पानी लेकर बस गये, कॉलोनी बस गई है और जिस तरह उल्लेखित कर दावा लाया वह स्थिति नहीं तथा जो संशोधित टाईटल पेश किया उसमें दावा के कथन असल पेश किये दावा से अलग ही बिना अनुमति अदालत मनमर्जी से वादीगण द्वारा लिखे होने से दावा गलत होने से निरस्तनीय है। अतः जवाबदावा हम प्रतिवादीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि सव्यय दावा खारिज कर हम प्रतिवादीगण को हर्जा व खर्चा दिलाया जावे।

प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी का पेश किया जिस पर वकील उभयपक्ष को सुना जाकर वकील वादी को दावा से प्रतिवादी सं. 7 का नाम हटाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने से दावा से प्रतिवादी सं. 7 का नाम हटाने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं. 21 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा की मद संख्या 1 ता 10 प्रतिवादी संख्या 21 से संबंधित नहीं होने से जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 21 के विरूद्ध अपने अनुतोष में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा में वर्णित समस्त अनुतोष अस्वीकार किये जाते हैं।

प्रतिवादी संख्या 21 द्वारा अपने जवाबदावा के विशेष आपत्तियां कथन में अंकित किया कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदनकर्ता को विद्युत अधिनियम के नियमों के तहत शर्तें पूरी करने पर ही विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है। वादी द्वारा इस मद में वर्णित ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है जिस कारण वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

दावा के अन्य प्रतिवादीगण को ... दिये गये परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाबदावा बन्द किया जाकर दावा में निम्नांकित तनकियात् कायम की गईः—

1. आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 183 तादादी 56.06 बीघा रोही कस्बा चूरू पर वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण—

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2. आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 183 तादादी 56.06 बीघा रोही कस्बा चूरू में हुए अवैध निर्माण को तुड़वाने के आदेश पारित करवाने के वादीगण अधिकारी हैं ?

–वादीगण–

3. आया वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं होने से यह दावा चलने योग्य नहीं है ?

–प्रतिवादीगण–

4. आया वादगत खेत 24.12.74 को बेचे जाने पर क्रेता द्वारा अलग प्लाट काटकर बेच दिये जाने से प्रतिवादीगण द्वारा आवासीय निर्माण कराकर कॉलोनी बस गई है। अतः वादीगण को इस तरह का यह दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है ?

–प्रतिवादीगण–

5. अन्य अनुतोष।

दावा में उपरोक्त तनकियात् कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। पत्रावली काफी समय तक साक्ष्यवादी में लम्बित रही परन्तु वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी उपस्थित नहीं हुए जिस पर अन्तिम अवसर दिया गया। साक्ष्यवादी उज्ज्वलसिंह ने दिनांक 02.02.16 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। तत्पश्चात् साक्ष्यवादी हेतु वादीगण बार–बार समय लेते रहे। वादीगण को साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 10.08.16 को स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.09.16 नियत की गई। नियत तारीख पेशी को भी साक्ष्यवादी उपस्थित नहीं हुए जिस पर वादीगण का साक्ष्य अवसर स्वतः बन्द माना जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य प्रतिवादी हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिस पर दिनांक 23.06.2017 को साक्ष्य प्रतिवादी अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। वकील उभयपक्ष बहस हेतु बार–बार समय लेते रहे। वकील उभयपक्ष को आवश्यक रूप से बहस करने की हिदायत दी गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 183 रोही कस्बा चूरू मन्दिर मूर्ति शाश्वत् नाबालिग की खातेदारी एवं सार्वजनिक हित की भूमि है जिसको प्रतिवादीगण मन्दिर के पुजारी से मिलीभगत कर बिना किसी हक अधिकार के अवैध रूप से कब्जा कर मकान आदि का निर्माण कर रहे हैं, प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। वादगत कृषि भूमि मन्दिर मूर्ति शाश्वत् नाबालिग की खातेदारी भूमि होने से उसकी सुरक्षा करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 से 4 का है परन्तु बार–बार कहने के बावजूद सुरक्षा नहीं कर रहे हैं जिससे शाश्वत् नाबालिग की कृषि भूमि का अवैध रूप से आवासीय उपयोग कर प्रतिवादी सं. 5 से 21 भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। वादीगण ने जागरूक नागरिक होने के कारण उक्त मन्दिर मूर्ति की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिए यह प्रतिनिधित्व वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में उक्त कृषि भूमि पर आवासीय मकानात् बना कर निवास करने के तथ्य को स्वीकार किया है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5, 7 से 19 ने अपने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि दिनांक 24.12.1974 के बैनामा मन्दिर के पुजारी द्वारा सुखीदेवी पत्नी सूरजमल माली सा. चूरू को रूपया लेकर बेचकर कब्जा व अधिकार दे दिया गया जिस सुखीदेवी ने अलग अलग प्लाट काटकर रूपया लेकर बेचकर कब्जा प्रतिवादीगण को दे दिया जिस पर खरीददारान अपना–अपना आवासीय स्थल निर्मित कराकर, बिजली पानी कनेक्शन लेकर आबाद हो गये, सड़क बन गई और एक कॉलोनी बस गई जिसमें हम प्रतिवादीगण या अन्य लोग आबाद है। इस तरह से यह भूमि बंजड़ ना होकर पिछले कई साल से आवासीय कॉलोनी बसी हुई चली आ रही है तथा उक्त भूमि बाबत ही उक्त सुखीदेवी के पुत्र की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एकल पीठ में एक रिट सं. 1691/2006 की हुई है जिसमें दिनांक 29.03.2006 को स्टे भी हुआ है जो कागजात हमने पेश किये हैं। इस तरह से यह भूमि हाईकोर्ट में विवादित होते हुए यह दावा जिस तरह से लाया गया है, वह चलने योग्य नहीं है। मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि की देखभाल व सुरक्षा का दायित्व पुजारी का होता है जबकि वादीगण किसी भी तरह से उक्त मन्दिर के पुजारी नहीं है तथा ना ही वादीगण का मन्दिर से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से उन्हें यह दावा पेश करने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं है इसलिए दावा वादीगण खारिज योग्य है। वादीगण ने यह दावा मात्र प्रतिवादीगण को अनावश्यक रूप से हैरान परेशान एवं खर्चे से जेरबार करने के लिये पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् को अपने साक्ष्यों से प्रमाणित भी नहीं करवाया है जिससे उनके द्वारा पेश दावा में अंकित कथन पढ़े जाने योग्य नहीं हैं एवं दस्तावेजात् साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होने से साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य नहीं हैं। अतः दावा वादीगण साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कायम की गई तनकियात् का निर्णय निम्नानुसार किया जाता हैः–

तनकी नं. 1 में वर्णित है कि ''आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 183 तादादी 56.06 बीघा रोही कस्बा चूरू पर वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं?''

तनकी नं. 1 को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर रखा गया था जिन्होंने दावा में वादीगण के खातेदार होने के कारण, मंदिर से आस्था होने के कारण, मंदिर तथा मंदिर का मालिक नाबालिक होने के कारण व वादीगण द्वारा उसमें धन पशु चराने के कारण उस जमीन का उपयोग उपभोग करने के कारण यह दावा लाने का अधिकार हासिल होने का कथन किया है तथा दिनांक 20.02.2012 को प्रतिवादी सं. [illegible] के भू–माफिया साथियों को प्लॉटिंग करने से मना करने के बाद भी [illegible] दावा लाने का कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त होना बताया है परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उक्त दावा कथनों को अपने साक्ष्यों से प्रमाणित करवाने का कोई प्रयास नहीं किया है। वादीगण ने यह प्रतिनिधित्व वाद पेश किया है परन्तु वादगत कृषि भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस प्रकार से वादगत कृषि भूमि से हितबद्ध हैं ? प्रतिनिधित्व वाद हितबद्ध व्यक्ति ही ला सकते हैं। प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा के वादीगण ना तो मन्दिर के पुजारी हैं ना ही मन्दिर से सम्बन्धित किसी संस्था के सदस्य हैं जिससे वादीगण को वादगत कृषि भूमि के हितबद्ध व्यक्ति या पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से वादीगण को दावा लाने का वादाधार एवं वाद कारण स्पष्ट नहीं होता। वादीगण ने दावा को अपने पक्ष में प्रमाणित करवाने हेतु कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं तथा वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के हितबद्ध व्यक्ति/पक्षकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 183 तादादी 56.06 बीघा रोही कस्बा चूरू में हुए अवैध निर्माण को तुड़वाने के आदेश पारित करवाने के वादीगण अधिकारी हैं?"

तनकी नं. 2 को साबित करने जिम्मा वादीगण पर रखा गया था परन्तु दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 को अपने पक्ष में प्रमाणित कराने में असफल सिद्ध हुए हैं तथा तनकी नं. 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित हो चुकी है। वादीगण ने तनकी नं. 2 को अपने पक्ष में प्रमाणित करवाने हेतु कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं तथा वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के हितबद्ध व्यक्ति/पक्षकार नहीं हैं। इसलिए तनकी नं. 2 स्वतः ही वादीगण के खिलाफ प्रमाणित होती है जिससे वादीगण वादगत कृषि भूमि ख.नं. 183 तादादी 56.06 बीघा रोही कस्बा चूरू में हुए अवैध निर्माण को तुड़वाने के आदेश पारित करवाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः तनकी नं. 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं होने से यह दावा चलने योग्य नहीं है ?"

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया था। दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित हो चुकी हैं। इसलिए उक्त तनकी नं. 3 का पृथक् से निर्णय किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

तनकी नं. 4 में वर्णित है कि "आया वादगत खेत 24.12.74 को बेचे जाने पर केता द्वारा अलग प्लाट काटकर बेच दिये जाने से प्रतिवादीगण द्वारा आवासीय निर्माण कराकर कॉलोनी बस गई है। अतः वादीगण को इस तरह का यह दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है ?"

तनकी नं. 4 को प्रमाणित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रखा गया था जिन्होंने जवाब में कथन किया है कि वादगत खेत दिनांक 24.12.74 को बेचे जाने पर केता द्वारा अलग प्लाट काटकर प्रतिवादीगण को बेच दिये गये हैं जिससे प्रतिवादीगण द्वारा आवासीय निर्माण कराकर कॉलोनी बस गई है एवं वादगत कृषि भूमि आबादी हो गई है। वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में केता सुखीदेवी के पुत्र ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में रिट पेश कर रखी है जिसमें दिनांक 29.03.06 को स्टे हुआ है। इसलिए वादीगण को इस तरह का यह दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब कथनों को अपने पक्ष में साबित करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। इसलिए तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 अन्य अनुतोषः– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

निर्णय

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के खिलाफ एवं तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 92 ए आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

1. उज्जवल सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
2. मो. रफीक पुत्र कमरूदीन जाति कायमखानी
3. लूणाराम पुत्र लादूराम जाति प्रजापत

} निवासीगण वार्ड नं. 13 तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
2. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर
3. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, चूरू
4. तहसीलदार, चूरू
5. मो. इकबाल पुत्र मुमताज खां जाति कायमखानी निवासी मदीना मस्जिद के पास, चूरू
6. सर्व साधारण
7. वजीर खां पुत्र रहीम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
8. युनस खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
9. मुमताज खां पुत्र लादू खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 09 चूरू
10. गफार पुत्र हबीब जाति नाई निवासी वार्ड नं. 09 चूरू
11. साबीर खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
12. आसीफ पुत्र अख्तर हुसैन जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
13. नब्बू खां पुत्र गनी खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 10 चूरू
14. दीन मोहम्मद पुत्र यासीन जाति तेली निवासी वार्ड नं. 07 चूरू
15. युनस खां पुत्र मनीर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03, चूरू
16. नानु खां पुत्र फैजू खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 चूरू
17. सदीक खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
18. मो. आरीफ पुत्र हाकम अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 03 चूरू
19. बादशाह उर्फ रहीम खां जाति कायमखानी निवासी चूरू
20. अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी., चूरू
21. अधिशाषी अभियन्ता, बिजली विभाग चूरू
22. भंवरलाल माली निवासी चूरू
23. सुखी देवी माली निवासी भूतिया बास चूरू
24. भंवरलाल जाट निवासी आबाद ख.नं. ... चूरू

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

दावा अ...
मुकदमा नं. 42 सन् 2012

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नरेशसिंह राठौड़ एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व श्री अब्दुलगफ्फार, श्री गजेन्द्र खत्री एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के खिलाफ एवं तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 92 ए आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह अप्रेल सन् 2021 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested